कृषि मेले से होंगे किसान लाभान्वित : कंषाना

भोपाल (काप्र)।

किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने कहा है कि कृषि मेलों के आयोजन से किसान लाभान्वित होंगे।

मेलों में किसानों को खेती-किसानी की अत्याधुनिक तकनीकों से अवगत होने का अवसर भी मिलता है और वे लाभान्वित भी होते हैं। कृषि मंत्री श्री कंषाना भोपाल के बिट्टन मार्केट में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि उद्यानिकी, डेयरी एवं अभियांत्रिकी मेले का शुभारंभ कर संबोधित कर रहे थे। श्री कंषाना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों को लाभान्वित करने के लिये निरंतर नित नये कार्य किये जा रहे हैं। इस प्रकार के उच्च स्तरीय मेलों के आयोजन से किसानों को अत्याधुनिक तकनीकों से रूबरू होने का अवसर मिलता है। खेती-किसानी की बेहतरी के लिये नवीनतम जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। किसानों को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ दिलाने में मदद भी मिलती है। कृषि मंत्री श्री कंषाना ने मेले में खेती-किसानी के लिये विकसित और निर्मित किये गये आधुनिक उपकरणों का अवलोकन किया।

कृषि मंत्री ने मेले में कहा कि हमें जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ना है। उन्होंने किसान भाईयों से आव्हान किया कि वे अपने खेतों में नैनो यूरिया का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। नैनो यूरिया के प्रयोग से खाद्य उत्पादों की पौष्टिकता बरकरार रहेगी। इससे धरती की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी।

श्री कंषाना ने मेले के आयोजन के लिये सभी संबद्ध संस्थानों को शुभकामना देते हुए कहा कि सभी मिलकर अन्नदाता के सशक्तिकरण के लिये कार्य करें। इससे समाज, प्रदेश और देश में समृद्धि आयेगी।

मुख्यमंत्री ने सिटी इलेक्ट्रिक ट्रक और स्टॉफ बस को झंडी दिखाकर किया रवाना

भोपाल (काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के पहले दिन के दूसरे सत्र में उद्योगपतियों और निवेशकों से वन-टू-वन चर्चा की।

उद्योग समूहों ने प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और औद्योगिक इकाईयों के विस्तार के संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वन-टू-वन भेंट के बाद वीई कमर्शियल द्वारा बनाए गये स्मार्ट सिटी इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक स्टॉफ बस और बेस्ट लाईफ स्टाईल अपेरल प्रा.लि. उज्जैन के पहले शिपमेंट को झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ जेके सीमेंट के राघवपत सिंघानिया ने प्रदेश में सीमेंट इकाई के विस्तार, वेल्सपन ग्रुपके प्रबंधक निदेशक विपुल माथुर ने टेक्सटाईल इकाई और हेटिच इंडिया के एन्ड्रे एकोल्हड ने फर्नीचर इकाई विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा की। ऑटोमोबाईल क्षेत्र में कार्यरत वीई कमर्शियल के विनोद अग्रवाल, टेक्सटाईल क्षेत्र में सक्रिय डोनियर शूटिंग्स के राजेन्द्र अग्रवाल और पेपर उद्योग में सक्रिय सीके बिरला ग्रुप के ओरिएंट पेपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अश्विन लड्ढा ने भी भेंट एवं चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव से एलएनटी ग्रुप के एमवी सतीश, टायर मेनुफेक्चरिंग में सक्रिय रालसन ग्रुप के मंजुल पहावा, खाद्य पदार्थ तथा मसाला उद्योग में सक्रिय एमडीएच ग्रुप के राजीव गुलाटी, नकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत ब्लयू लीफ के श्री अमिराम रॉथ और एशियन पेन्ट्स के प्रतिनिधियों ने प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के संबंध में विचार-विमर्श किया।

गेहूँ उपार्जन हेतु 6 मार्च तक पंजीयन

रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन करने के लिये पंजीयन की अवधि एक मार्च तक निर्धारित की गई थी। अब प्रदेश के गेहूँ उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न विक्रय का अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के लिये किसान पंजीयन की अवधि 6 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गयी है।

बाइसन रिसोर्ट मढ़ई बना देश का पहला फाइव ग्रीन लीफ रेटिंग रिसोर्ट

मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर रिसोर्ट प्रबंधक तथा जिला प्रशासन को दी बधाई

भोपाल (काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी नेतृत्व है जो देश को स्वच्छता के नए आयामों पर ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि अतुल्य भारत के हृदय मध्य प्रदेश की सुंदरता और स्वच्छता को आगे बढ़ाएं।

स्वच्छ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन लीफ रेटिंग एक अनूठी पहल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाइसन रिसोर्ट, मढ़ई के प्रबंधक तथा जिला प्रशासन को इस उपलब्धि के लिये बधाई दी है। केन्द्रीय पेयजल और स्वच्छता और पर्यटन मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में देश में आतिथ्य सुविधा जैसे रिसॉर्ट, होमस्टे, धर्मशाला इत्यादि सुविधाओं के लिए स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले के सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल मढ़ई में स्थित बायसन रिसॉर्ट को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कलेक्टर एवं जिला पुरातत्व पर्यटन संस्कृति परिषद नर्मदापुरम की अध्यक्ष सुश्री सोनिया मीना एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम श्री एस एस रावत द्वारा फाइव ग्रीन लीफ रेटिंग प्रमाण पत्र बायसन रिसॉर्ट, मढ़ई को प्रदान किया गया।

उल्लेखनीय है कि मिशन संचालक, राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) भोपाल के निर्देशानुसार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने पर्यटन मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान से देश में आतिथ्य सुविधा जैसे रिसॉर्ट, होमस्टे, धर्मशाला इत्यादि में सुविधाओं के लिये स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम का शुभारंभ किया है। जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ ग्रीन लीफ रेटिंग जारी की जाती है। इसमें संबंधित रिसोर्ट / होटल द्वारा स्वच्छता के विभिन्न मापदंडों पर अपना स्वयं आंकलन कर आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद घोषित स्वच्छता के मापदंडों का सत्यापन एसडीएम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है। जिसके आधार पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लीफ 1 से लेकर लीफ 5 तक की रेटिंग दी जाती है। रिसोर्ट/होटल को दिये जाने वाला उक्त रेटिंग प्रमाण पत्र आतिथ्य सुविधा में स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग प्रणाली में स्वैच्छिक रूप से भाग लेने एवं स्वच्छ पर्यटन को बढावा देने में सराहनीय योगदान देने के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है। उल्लेखनीय है कि एक जिला एक उत्पाद श्रेणी में नर्मदापुरम जिले ने पर्यटन को चुना है। जिले की इस उपलब्धि से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

मंत्रालय में राष्ट्र-गीत एवं राष्ट्र-गान गायन

मार्च माह के प्रथम शासकीय कार्य दिवस पर मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्र-गीत वंदे-मातरम एवं राष्ट्र-गान जन-गण-मन का सामूहिक गायन हुआ। इस अवसर पर पुलिस बैंड ने देशभक्ति से ओतप्रोत सुमधुर धुनें प्रस्तुत की। सामूहिक गायन में प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी एवं सचिव अनिल सुचारी सहित मंत्रालय, सतपुड़ा और विंध्याचल भवन के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में छात्र-छात्राओं को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं: कृष्णा गौर

भोपाल (काप्र)।

प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों में छात्र-छात्राओं को बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। छात्रों को छात्रावास में बेहतर सुविधायें मिलें, इसके लिये सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रदेश की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमन्तु और अर्धघुमन्तु कल्याण विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने शुक्रवार को ग्वालियर में बालक एवं बालिका छात्रावास के औचक निरीक्षण के दौरान यह बात कही। शासकीय संभागीय पिछड़ा वर्ग महाविद्यालयीन बालक छात्रावास हुरावली एवं शासकीय संभागीय पिछड़ा वर्ग महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास शारदा विहार का औचक निरीक्षण किया। छात्रावास में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से विस्तार से चर्चा भी की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि छात्रावास में छात्रों को बेहतर सुविधायें मिलें, इसके साथ ही छात्रावास में साफ-सफाई और रंगाई-पुताई का कार्य भी तत्परता से कराया जाए, इससे छात्रों को अध्ययन के लिये बेहतर माहौल मिल सके।

श्रीमती कृष्णा गौर ने छात्र-छात्राओं से चर्चा करते हुए कहा कि शासन ने निर्णय लिया है कि पिछड़ा वर्ग के सभी छात्रावासों में छात्र-छात्राओं के लिये कैन्टीन (भोजन कक्ष), ई-लाइब्रेरी, जिम, छात्रावास की छत पर सोलर पैनल के साथ ही सभी छात्रावासों में वाई-फाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई जावेगी। हमारे छात्रावासों में आने वाली पीढ़ी तैयार हो रही है। छात्रावासों के छात्र-छात्राओं को अच्छी सविधा उपलब्ध होंगीं तो वे मन लगाकर पढ़ेंगे और प्रदेश एवं देश का नाम रोशन करेंगे। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि शारदा विहार स्थित कन्या छात्रावास में 41 छात्राएँ निवास कर रही हैं। इसी प्रकार बालक छात्रावास में लगभग 100 बालक निवास कर रहे हैं।

हत्या के 11 आरोपियों को आजीवन कारावास

भोपाल (काप्र)।

जिला अदालत ने करीब दो साल पहले युवक की बेरहमी से हत्या किये जाने के मामले में सुनवाई पूरी होने पर सभी 11 दोषियों को आरोपी करार देते हुए उम्रकैद की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है।

यह निर्णय 18 वे अपर सत्र न्यायाधीश सचिन कुमार घीस की कोर्ट ने दिया है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राम कुमार खत्री द्वारा पैरवी की गई है। विशेष लोक अभियोजक राजकुमार खत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 अगस्त 2020 की रात के करीब 10 बजे अजय कनाड़े अपने भाई अमित कनाड़े और प्रकाश कनाड़े के साथ गाड़ी से घर जा रहा था। रास्ते में उसे शौर्य स्मारक के पास तीन बाइक पर आए 11 आरोपियों अजय भूरा, सागर मीणा, रूपेश बिछैले, संदीप, रवि जिक्सर, दीपक, अरूण सिंह, रॉकी, चिन्ना, यश और अनिल गतौले ने अमित और उसके भाईयों को रोककर चारो और से घेर लिया। आरोपी भूरा और अजय कनाड़े के बीच पूर्व में जेल में चप्पल मारने को लेकर रंजिश चल रही थी। इसी विवाद को लेकर आरोपियों ने अजय को गालियां देते हुए मारने की बात कहते हुए अनिल और भूरा ने अजय कनाड़े पर चाकूओं से वार करना शुरू कर दिया। आरोपियों ने अजय के गर्दन और छाती पर चाकू से वार किए। जिसके कारण उसका काफी खून बह गया। इस दौरान आरोपी दीपक और सागर फरियादी के भाई अजय को पकड़े हुए थे। जब फरियादी और प्रकाश अपने भाई को बचाने के लिये आगे बढे तब संदीप और यश ने उनपर उपर पिस्टल तान दी और फरियादी को खुजाल व रॉकी ने पकड़ लिया। अजय चोटी को एल.बी.एस अस्पताल एवं हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टर ने अजय की जाच कर मृत घोषित कर दिया था। मामले में थाना शाहजहांनाबाद के तत्कालीन थाना प्रभारी जहीर खान द्वारा गहन विवेचना के बाद आरोपियो के खिलाफ अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य, तथ्य, वस्तुओं, दस्तावेजों व तर्क के आधार पर सभी 11 आरोपियों अजय भूरा, सागर मीणा, रुपेश विधैले, संदीप, रयि जिक्सर, दीपक, खुजाल उर्फ अरूण सिंह, रॉकी, चिन्ना उर्फ कालू, यश, अनिल गौतेले को दोषी करार देते हुए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा एवं 1-1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। एडिशनल कमिश्नर अवधेश गोस्वामी ने कहा कि इस मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी डहीर खान ने विवेचना की थी, जिस वजह से सभी आरोपियो को कड़ी सजा हो पाई है। डाहीर खान ओर उनकी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा।

भाई के सामने चाकुओं से गोद कर की थी हत्या

आनलाइन लोन ऐप के जाल में फंसा पुलिसकर्मी 30 हजार के बदले ऐंठ लिए 14 लाख

भोपाल (काप्र)।

राजधानी के एक पुलिसकर्मी को पहले तो जालसाजो ने ऑन लाइन लोन एप के जाल में फंसाकर उसे 30 हजार का लोन दे दिया। इसके बाद रिकवरी एजेंट्स ने उससे 14 लाख रुपए ऐंठ लिए।

इसके बाद भी बैखौफ ठग उस पर और रकम देने का दबाव बनाते हुए ब्लैकमेंलिंग करते रहे। आरोपी पुलिसकर्मी के परिचितों को उसके एडिटेड अश्लील फोटो सेंड कर बदनाम कर रहे हैं। साथ ही रिश्तेदारों को पुलिसकर्मी के किडनैप किये जाने के फर्जी मैसेज भेजते हुए 3 लाख की फिरौती की मांग कर रहे हैं। आखिरकार परेशान होकर पीड़ीत ने मामले में शिकायत साइबर क्राइम ब्रांच में की जिसकी जांच के बाद पुलिस ने अज्ञात मोबाइल धारकों के खिलाफ मामला कायम कर लिया है। पुलिस के अनुसार बीती 23 फरवरी को एच न. 683/3 पीडब्ल्यूडी शेड 12 दफ्तर के पीछे टीटी नगर में रहने वाले सुधेश गौतम पिता रामसिया गौतम ने लिखित शिकायती आवेदन देते हुए बताया कि उसके द्वारा सन्नी ऑनलाइन नामक ऐप से 50 हजार रुपए का लोन पिछले साल लिया गया था।

उसमें उसे 40 प्रतिशत रकम काटकर 30 हजार की रकम दी गई थी। लोन लेने के पांच दिन बाद ही उस पर पैसा लौटाने का दबाव बनाना शुरु कर दिया गया। आनलाईन एप्प का लोन चुकाने के लिये फरियादी ने कई अन्य ऑन लाइन लोन लिए जिसके बाद वह लगातार साइबर ठगों के जाल में फंस गया। फरियादी का कहना है कि वह 50 हजार के लोन के ऐवज में अब तक करीब 14 लाख रुपए अदा कर चुका है। लेकिन इसके बाद भी ठग उसके फोटो को एडिट कर अश्लील फोटो तैयार कर उसके परिजनों और मोबाइल की कान्टेक्ट लिस्ट में जुड़े लोगों को भेज कर उसकी और उसके परिवार की बदनामी कर रहे हैं। इतना ही नहीं आरोपी उसके परिवार वालो को उसके अपहरण का मैसैज भेजकर जान से न मारने के ऐवज में तीन लाख की फिरौती की मांग भी कर चुके है। प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने आगे की शुरू कर दी है।

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बैरसिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश बैरसिया जिला भोपाल (म.प्र.)

Presiding Officer: श्रीमती श्रुति चौहान

(आवेश 5 नियम 20 व्यवहार पर किया महिला 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)

(RCSA/0000032/2021)

श्रीमती गीता बाई.. वादी Vs देवीलाल प्रतिवादी

Process Id- /2024, पेशी दिनांक : 23/03/2024

प्रेषिती-1. श्रीमती राज बाई पति रामकरण पता- ग्राम गांगाहोनी तह. ब्यावरा जिला राजगढ़ म.प्र., 2. कु. सीमा पिता बालमुकुंद पता- ग्राम बागसी तह बैरसिया जिला भोपाल म.प्र., 3. बृज पिता बालमुकुंद पता ग्राम बागसी तह. बैरसिया जिला भोपाल म.प्र. , 4. जगदीश पिता बालमुकुंद पता- ग्राम बागसी तह. बैरसिया जिला भोपाल म.प्र., 5. श्रीमती चंदा बाई पिता नन्नूलाल पता ग्राम तोरई तह. मधुसूदनगढ़ जिला गुना म.प्र., 6. श्रीमती आशा पिता बालमुकुंद पता ग्राम बागसी तह0 बैरसिया जिला भोपाल म.पु., 7. दिनेश पिता बालमुकुंद पता ग्राम बागसी तह. बैरसिया जिला भोपाल म.प्र.।

यह कि प्रार्थी श्रीमती गीता बाई ने आपके विरूद्ध धारा 09 स्वत्व घोषणा अधिनियम 1908 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/ हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस बाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या सृजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्षय के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो बाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें यह आज तारीख 21 Februari 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

श्रुति चौहान, न्यायाधीश
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बैरसिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश बैरसिया जिला भोपाल (म.प्र.)

4703

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बैरसिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश बैरसिया जिला भोपाल (म.प्र.)

Presiding Officer: श्रीमती श्रुति चौहान

(आवेश 5 नियम 20 व्यवहार पर किया महिला 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)

(RCSA/0000309/2021)

भारतीय स्टेट बैंक .. वादी Vs फर्म विसराजी फार्मेसी प्रतिवादी

Process Id- /2024, पेशी दिनांक : 6/04/2024

प्रतिषी: फर्म विसराजी फार्मेसी पता -द्वारा प्रोप. दीपक विश्वकर्मा 27 भवानी धाम फेज 2 नियर बोनाफाई स्कूल अयोध्या बाईपास नरेला शंकरी भोपाल म.प्र.।
2. दीपक विश्वकर्मा पिता मुन्नालाल विश्वकर्मा पता- द्वारा प्रोप. विसराजी फार्मेसी 27 भवानी धाम फेज 2 नियर बोनाबाई स्कूल अयोध्या बाईपास नरेला शंकरी भोपाल म.प्र.।

यह कि प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक ने आपके विरूद्ध वाद वास्ते वसूली के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिऐ उपसंजात/हाजिर होने के लिए समन किया है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथन का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करे, और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करे। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नही होगें तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपद्वारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने इच्छुक है तो पीठा सीन अधिकारी को अवगत करावे। यह आज तारीख 1 मार्च 2024 हस्ताक्षर से न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

एकता ठाकुर, न्यायाधीश
ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भोपाल (म.प्र.)

4704

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बैरसिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश बैरसिया जिला भोपाल (म.प्र.)

Presiding Officer: श्रीमती श्रुति चौहान

(आवेश 5 नियम 20 व्यवहार पर किया महिला 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)

(RCSA/0000070/2023)

दयाराम.. वादी Vs रामरतन प्रतिवादी

Process Id- /2024, पेशी दिनांक : 11/03/2024

प्रेषिती-1. श्रीमती शीलाबाई पति स्व. मोतीलाल पता शबरी नगर मल्टी बिल्डिंग के पास नेहरू नगर भोपाल म.प्र., 2. भारती पिता स्व. मोतीलाल पता शबरी नगर मल्टी बिल्डिंग के पास नेहरू नगर भोपाल म.प्र., 3. श्रीमती कुसुमबाई पति रामगोपाल पता ग्राम पोआरिया तहसील शमशाबाद जिला विदिशा म.प्र., 4. पूनम पिता स्व. मोतीलाल पता शबरी नगर मल्टी बिल्डिंग के पास नेहरू नगर भोपाल म.प्र.,

प्रतिवादी क्रमांक 03 लीलाकिशन मृत द्वारा वारिसानगण

1. सावित्री बाई बेवा लीलाकिशन पता ग्राम गोडिया सनखेड़ा तहसील बैरसिया, 2. कु. रजनी पुत्री लीलाकिशन पता ग्राम गोड़िया सनखेड़ा तहसील बैरसिया, 3. मायाबाई पुत्री लीलाकिशन पता ग्राम गोडिया सनखेड़ा तहसील बैरसिया, 4. कु. लता बाई पुत्री लीलाकिशन पता ग्राम गोड़िया सनखेड़ा तहसील बैरसिया, 5. पुष्पेन्द्र आ. लीलाकिशन पता ग्राम गोडिया सनखेडा तहसील बैरसिया। यह कि प्रार्थी दयाराम ने आपके विरूद्ध धारा 09 स्वत्व घोषणा अधिनियम 1908 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/ हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस बाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या सृजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्षय के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो बाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें यह आज तारीख 21 Februari 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

श्रुति चौहान, न्यायाधीश
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बैरसिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश बैरसिया जिला भोपाल (म.प्र.)

4705

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील कोलार जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 3495/अ-6/2023-24

उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सविता तिवारी/पुष्पेन्द्र तिवारी निवासी कालापानी म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय क्र./वसीयत/दान एम.पी. 059702022ए11833 836 दिनांक 07/02.24 ग्राम कालापानी प.ह.नं. 08 स्थित भूमि खसरा नंबर 90, 91 रकबा 1.19 है. भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किए जाने का अनुरोध किया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 11.3.2024 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 27.2.2024 को जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
तहसील कोलार जिला भोपाल

4706

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्र. 4864/अ-6/2023-24

इश्तहार

आवेदक पुष्पेन्द्र तिवारी आ./पत्नी चंद्रशेखर तिवारी निवासी म.नं. 126 कान्हा कुंज केस-2 अमारपुर द्वारा ग्राम बैरागढ़ चीचली स्थित खसरा नंबर/प्लाट नंबर 78/2/2 क्षेत्रफल 87.36 व.मी. पर विक्रय पत्र/फौती/वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 12.03.2024 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 26.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अतिरिक्त तहसीलदार
तहसील कोलार जिला भोपाल

4707

कार्यालय सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल संभाग क्र. 6 गोमंतिका परिसर, भोपाल

आम सूचना

कृष्ण विहार सनखेड़ी भोपाल में भवन एम.आई.जी. टाईप बी मण्डल द्वारा सुश्री महक भारतीय निवासी एच.डी./60 अभिरुचि कालोनी पुराना सुभाष नगर भोपाल (म.प्र.) के नाम से पंजीकृत है। सुश्री महक भारतीय द्वारा दिनांक 12.2.2024 को आवेदन पत्र, शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति में सुश्री मोनिका इन्दौरा पुत्री श्री आर.एस. इन्दौरा निवासी 35 राजनगर पालम कालोनी साउथ वेस्ट, दिल्ली का नाम संयुक्त करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। भवन एम.आई.जी. टाईप बी. में सुश्री मोनिका इन्दौरा पुत्री श्री आर.एस. इन्दौरा का नाम संयुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है। अत: उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था/ उत्तराधिकारी/ अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत करें। अन्यथा अवधि व्यतीत होने के उपरांत नाम जोड़ने की कार्यवाही का जाएगी। तत्पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

सम्पदा अधिकारी,
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल संभाग 6 भोपाल

4708

न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त-1, तहसील हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 8438/अ-6/2023-24

मौजा-परवलिया सानी, तहसील हुजूर भोपाल

उद्घोषणा पत्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक 1. श्री परवेज खान पुत्र श्री सलीम खान निवासी मकान नं. 77 बावड़िया कला, होशंगाबाद मार्ग भोपाल, 2. श्री मोहम्मद आरिफ खान पुत्र श्री मोहम्मद कासिम खान निवासी मकान नं. 01 सैफिया कालेज रोड होटल इंपीरियल सबरे के सामने कोहेफिजा भोपाल 3. श्री विनोद ठाकुर पुत्र श्री अर्जुन सिंह निवासी 23, अरवलिया बैरसिया रोड भोपाल म.प्र. द्वारा भू-राजस्व संहिता की धारा 109, 110 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक एम.पी. 059692024ए1088520 दिनांक 23.01.2024 के आधार पर क्रय की गई भूमि स्थित ग्राम परविलया सानी प.ह.नं. तहसील हुजूर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 353 रकबा 0.3500 हे. सम्पूर्ण खसरा 354 रकबा 0.3700 हे. खसरा 355 रकबा 0.7900 हे. खसरा 356 रकबा 0.3700 हे. सम्पूर्ण खसरा 357 रकबा 2.2500 हे. सम्पूर्ण खसरा 359 रकबा 0.4500 हे. सम्पूर्ण खसरा 360 रकबा 14.079 एकड़ भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किए जाने का अनुरोध किया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 11.03.2024 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक को 29.02.2024 जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
तहसील हुजूर भोपाल

4709

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार नजूल वृत्त-2, गोविन्दपुरा भोपाल

प्रकरण क्रमांक 747/अ-6/2023-24

आम सूचना

आवेदिका श्रीमती नीतू बाथम पत्नी श्री संतोष बाथम निवासी मकान नं. 106 कृषक नगर न्यू जेल रोड हुजूर भोपाल म.प्र. द्वारा ग्राम रासलाखेड़ी स्थित भूमि खसरा क्रमांक 6/2 के अंश भाग में से रकबा 600 वर्गफिट भूमि पर नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना के जारी होने की दिनांक से 15 दिवस में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत न करने की दशा में या बाद में की गई आपत्ति पर न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया जावेगा। उद्घोषणा न्यायालय की मुद्रा में मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार
नजूल गोविन्दपुरा वृत्त भोपाल

4710